निविदा फार्म–उपार्जन अनुभाग (तकनीकी बिड)–01

फार्म संख्या– [ ] निविदा प्रपत्र मूल्य–1000.00 रु० (एक हजार रुपये)
(समस्त कर सहित)

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

फोटोग्राफ

1–मार्ग का नाम – : ....

2–निविदादाता का नाम – : ....

3–पिता/पति का नाम –: ....

4–स्थाई पता –: ....
....

5–पत्र व्यवहार का पता –...
....

6–दूरभाष संख्या ....

7–पैनकार्ड संख्या (निविदा शर्त संख्या 04 के अनुरूप) (संलग्न) ....

8–आधार कार्ड संख्या (संलग्न)..

9–पूर्व बकाया राशि विवरण (हॉ/नही)–.................................

10–जमा अर्नेस्टमनी विवरण–बैंक का नाम ....

डाफ्ट संख्या .... धनराशि .... दिनांक ....

अथवा

नगद जमा धनराशि .... रसीद संख्या .... दिनांक ....

10–वाहन से सम्बन्धित निम्न सूचनायें अंकित करें–

क–वाहन का प्रकार .... मॉडल वर्ष.........................भार क्षमता ....

ख–पंजीकरण संख्या ....पंजीकरण तिथि....................................

ग–वाहन स्वामी का नाम ....बीमा की वैधता तिथी ....

घ–वाहन परमिट की वैधता तिथि ....फिटनैस वैधता तिथी....................

<u>निविदा शर्ते संलग्न</u>

<u>घोषणा</u>

मैंने निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तो को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है। मैं निविदा में उल्लेखित शर्तो के अधीन उधमसिहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 खटीमा में अपना वाहन किराये पर कार्य करने के लिये सहमत/इच्छुक हूॅ ।

उक्त प्रतिष्टियॉ मैने स्वयं भरी हैं/भरवाई हैं और मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनायें गलत पायी जायें, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध में हुये निविदा/अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें।

ह0 निविदादाता ....

दिनाँक.........................

पूरा नाम ....

पता:– ....

निविदा फार्म–उपार्जन अनुभाग (वित्तीय बिड)–02

आँचल

फार्म संख्या–

आँचल

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा (ऊधमसिंहनगर)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें एवं दरो में ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।)

1–मार्ग का नाम – : ....

2–निविदादाता का नाम – : ....

3–पिता/पति का नाम –: ....

4–स्थाई पता –: ....

....

5–वाहन के किराये की दरें–

1–रुपया प्रतिदिन (दिहाड़ी) अंकों में..रुपये

शब्दों में..रुपये

(डीजल औसत, मोबिल आयल औसत, लोडर चार्ज आदि संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही देय होगें, जो संलग्न निविदा शर्तों में अंकित है)।

ह0 निविदादाता..

दिनाँक...............................

पूरा नाम..

पताः– ....

ऊधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, खटीमा

उपार्जन संबन्धी वाहन निविदा हेतु सूची

क्र सं	मार्ग का नाम	दुग्धशाला / दुग्ध अवशीतन केन्द्र का नाम	वाहन का प्रकार	अनुमानित दूरी किमी0	प्रथम एवं अंतिम प्वाइंट	न्यूनतम दरें	ढुलान हेतुमार्ग में औसत दूध मात्रा ली0	अधिकतम दरें
1	सुनखरी–नानकमत्ता	खटीमा	पिकअप / समकक्ष	180	सुनखरी से विडौरा म0	720.00	1600	750.00
2	एचताविही–खटीमा	खटीमा		80	चैतुवाखेड़ा से पहेनियां	770.00	1700	750.00
3	झनकट–रतनपुर	खटीमा		105	गुरूखुड़ा से सुजिया	769.00	1400	750.00
4	ढाकी–मझोला	खटीमा		120	बरी 1 से नौगवांठग्गू	770.00	1300	750.00
5	बिरिया–खटीमा	खटीमा		65	केरंगघाट से उमरकला	768.00	1300	750.00
6	श्रीपुर बिछुवा–खटीमा	खटीमा		65	कुटरा से कंजाबाग	768.00	1400	750.00
7	चकरपुर–मेलाघाट	खटीमा	टाटा 407 / समकक्ष	91/85	बिगराबाग से उंचीमहुवट	705/614	2200	970.00
8	गुलरभोज–रूद्रपुर	रूद्रपुर	टाटा 407 / स्वराजमाजदा / समकक्ष	140	बुक्सौरा से कीरतपुर	966.46	3000	970.00
9	बन्नाखेड़ा–बाजपुर	बाजपुर	पिकअप / समकक्ष	150	शिवनगर से पिपलिया	750.00	1000	750.00
10	आ0प0चि0 खटीमा	खटीमा	अल्टोकार / समकक्ष / बोलेरो	100	–	538.00	–	550.00
11	आ0प0चि0 सितारगंज	खटीमा		100	–	595.00	–	550.00
12	आ0प0चि0 रूद्रपुर	रूद्रपुर		100	–	550.00	–	550.00
13	आ0प0चि0 बाजपुर	बाजपुर		100	–	449.00	–	550.00

संस्था द्वारा डीजल, मोबिल आयल एवं लोडर चार्ज निम्नानुसार देय होगा
व्यय का विवरण वर्ष 2026–27

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार	डीजल प्रतिलीटर	मोबिल ऑयल प्रति लीटर	लोडर चार्ज
1	टाटा 407 / कैंटर / समकक्ष	09 किमी0 पर 01 लीटर डीजल	320 किमी / लीटर	50.00 रू0 प्रति पाली
2	पिकअप / समकक्ष	10 किमी0 पर 01 लीटर डीजल	320 किमी / लीटर	40.00 रू0 प्रति पाली
3	महेन्द्रा सुप्रो / छोटा हाथी / समकक्ष	13 किमी पर 01 लीटर डीजल	320 किमी / लीटर	40.00 रू0 प्रति पाली
4	कार, बुलेरो / समकक्ष	13 किमीपर 01 लीटर पेट्रोल / डीजल	320 किमी / लीटर	–

नोट–मोबिल ऑयल का भुगतान रू0 300.00 प्रतिलीटर की दर से देय होगा। डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से प्रचलित दरों के अनुसार देय होगा।

निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश

01—:निविदायें, प्रधान प्रबन्धक, उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 कंजाबाग रोड खटीमा उधमसिंहनगर के नाम से निविदा पेटी में दिनाँक—24.07.2026 को निविदायें अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगीं जो कि उपरोक्तानुसार अपराहन 01:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय खटीमा में खोली जायेगीं। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त सम्बन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनांक—24.07.2026 को अपराहन 12:00 बजे तक दुग्ध संघ मुख्यालय खटीमा के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

02—:एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।

03—:प्रत्येक मार्ग के लिये अलग—अलग निविदा प्रपत्र भरकर देना होगा। एक वाहन से केवल एक ही मार्ग की निविदा मान्य होगी। दो अथवा अधिक मार्गो के लिये एक ही वाहन की निविदा भरे जाने पर निविदादाता की समस्त मार्गो की निविदायें निरस्त कर अर्नेस्टमनी जब्त कर दी जायेगी।

04—:लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में उर्पाजन कार्य हेतु निविदा एवं मार्ग का नाम तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश के अन्त मे स्थायी पता अंकन करना अनिवार्य होगा।

05—निविदा फार्म में निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटो युक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैनकार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी।

06—:निविदा फार्म के साथ वाहन की आर0सी0, परमिट एवं समस्त सही (वैध) प्रपत्र साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के भीतर समस्त वैध प्रपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, तद्उपरान्त ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। वाहन के प्रपत्रो के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्टमनी जब्त करते हुए 03 वर्षो हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

07—:वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। अन्य किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/विक्रय पत्र/कोटेशन आदि मान्य नहीं होगें।

08—:उत्तराखण्ड राज्य से बाहर पंजीकृत वाहनों को निविदा में भाग लेने पर निविदा के साथ उत्तराखण्ड राज्य में जमा टैक्स आदि के वैध प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

09—:संस्था में जमा अर्नेस्टमनी की रसीद की मूल प्रति/छायाप्रति अथवा बैंक ड्राफ्ट जो इस संस्था के नाम से देय हो मूल रूप में संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

10—:यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईड **www.ucdfaachal.org** से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप मे रू0 1000.00 की रसीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11—:एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

12—:बड़े वाहनों (2.5 टन से अधिक) हेतु मु0 10000 (दस हजार रू0 मात्र) तथा छोटे वाहनों (2.5 टन से कम) हेतु मु0 5000 (पाँच हजार रू0 मात्र) अर्नेस्टमनी नगद/ड्राफ्ट से जमा करानी होगी। रसीद की छायाप्रति या बैंक ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा। चैक मान्य नहीं होगा, पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी इस निविदा में मान्य नहीं होगी।

13—:निविदादाताओं को वाहन संचालन हेतु समस्त वैधानिक कार्यवाहियॉ स्वयं पूर्ण करनी होगी।

14—:निविदा की दरों में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग/फ्लूट/सफेदा लगाना स्वीकार्य नहीं होगा। यदि ऐसा पाया जायेगा तो निविदा निरस्त कर दी जायेगी। दरों के अतिरिक्त अन्य निविदा विवरण में त्रुटि होने पर एक लाइन से कटिंग करके अंकित किये जाने पर स्वहस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

15—:निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्सियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू—बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग—अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

16—निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त 15 दिवस के भीतर अपना बैंक खाता विवरण उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, किसी भी निविदादाता को नगद भुगतान देय नहीं होगा।

17—:वाहन का मॉडल 2013 से कम नहीं होना चाहिये तथा वाहन में बैक कैमरा और जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य होगा। जिसका रखरखाव/रीचार्ज स्वयं वाहन स्वामी द्वारा किया जायेगा। यदि किसी ट्रांसपोर्ट फर्म द्वारा निविदा डाली जाती है तो फर्म का जी०एस०टी०/रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा, उक्त के संचालन के संबन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

18—:समान दरें प्राप्त होने पर निम्नवत वरीयता के क्रम में निविदा निस्तारित की जा सकेगी।

(i) संस्था द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर तक नेगोसियेशन द्वारा।

(ii) वाहन की क्षमता अधिक होने पर।

(iii) मॉडल वर्ष/रजिस्ट्रेशन दिनांक जो कि नवीनतम हो के द्वारा।

19—:निविदा में पावर ऑफ एटोनी एवं वाहन से संबंधित कम्पनियों का कोटेशन मान्य नहीं होगी, अपंजीकृत/AF नये वाहन की दशा में वाहन क्रय रसीद संलग्न करना अनिवार्य होगा।

20—:दुग्ध उपार्जन परिवहन निविदा के लिये वाहन के प्रकार में छोटे वाहन पिकअप/समकक्ष में न्यूनतम निविदा धनराशि 550.00 रु० दिहाड़ी एवं बड़े वाहन टाटा 407/समकक्ष पर 700.00 रु० दिहाड़ी न्यूनतम निर्धारित की जाती है, निविदादाता को अपनी दरें संस्था द्वारा निर्धारित उच्च एवं न्यूनतम दरों के मध्य होनी चाहिए, उक्त के विपरीत निविदा दर अधिक/कम होने पर निविदा अवैध मानी जायेगी।

21:—निविदादाता को दुग्ध संघ ऊधमसिंहनगर में किसी भी अनुभाग का बकायेदार नही होना चाहिए। किसी भी अनुभाग का बकायेदार होने अथवा संस्था या संस्था के किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी होने तथा पूर्व में दूध चोरी करते हुए पकड़े गये व्यक्ति अथवा उक्त में उनके किसी परिवारिक सदस्य के उक्त अर्नहतायें पाये जाने पर निविदा अमान्य होगी। उपरोक्त के संबन्ध में निविदा से संबन्धित अनुभाग प्रभारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी।

22—:संस्था में आकस्मिक पशुचिकित्सा सेवा एवं पीएण्डआई में संचालित होने वाले वाहनों में एयर कंण्डीशन होना अनिवार्य है तथा इन वाहनों को अति आवश्यक सेवा के अन्तर्गत कार्य दिवस में किसी भी समय अति आवश्यक चिकित्सा कार्य हेतु आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा, वाहन उपलब्ध न कराये जाने की दशा में स्थानीय बाजार से किराये पर वाहन लेना पड़ता है तो उसके समस्त खर्चे निविदादाता के बिलों से कटौती कर ली जायेगी जो कि निविदादाता को मान्य होगा। तथा सभी चिकित्सा वाहन एवं पीएण्डआई वाहन अपने कार्यों के साथ—साथ अन्य सौंपे गये कार्यों के लिए बाध्य होगें।

23—:जमानत धनराशि निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त छोटे वाहनो के लिये (2.5 टन से कम) रू0 15000.00 (पन्द्रह हजार) एवं बडे वाहनों के लिये (2.5 टन से अधिक) रू0 20000.00 (बीस हजार) जमानत धनराशि संस्था कोषागार में नगद अथवा बैक ड्राफ्ट जो उधमसिंहनगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के नाम से हो जमा करना होगा।

24—:निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र में दिये गये वाहन की निविदा स्वीकार हो जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसके प्रतिनिधि को निविदा हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी।

25—:निविदाओं का निस्तारण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अधीन होगा।

26—:निर्धारित दुग्ध मार्गों एवं समितियों में परिवर्तन किया जा सकता है तथा आवश्यकता होने पर उपार्जन दुग्ध ढुलान के साथ—साथ विपणन का दूध भी ढुलान करने के लिये बाध्य होगा जिसके लिये कमेटी द्वारा निर्धारित अतिरिक्त ढुलान देय होगा। तथा आवश्यकता न होने पर बिना कारण बताये एक माह के नोटिस पर वाहन हटाया जा सकता है।

27—:डीजल का भुगतान साधारण डीजल की दर से संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा।

28—:वाहनों के प्रकार के अनुसार संस्था द्वारा संलग्न विवरण के अनुसार प्रतिदिन अधिकतम दिहाडी निर्धारित की गयी है अधिक दरें प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं होगी।

29—:मोबिल आयल औसत—वाहनो को संलग्न विवरण के अनुसार न्यूनतम दरों पर देय होगा।

30—:लोडर चार्ज—छोटे वाहन हेतु (2.5 टन से कम) 40.00 रू0 प्रति पाली तथा बडे वाहन हेतु (2.5 से अधिक) 50.00 रू प्रति पाली देय होगा।

31—:निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।

32—:निविदादाता द्वारा साईलेज/पशुआहार/मिनरल मिक्चर/हरा चारा/बीज एवं भूसा ब्लॉक समितियों की माँग के अनुसार समितियों को परिवहन करना होगा, जिसका परिवहन का ढुलान 30 रुपये प्रति कुन्तल देय होगा, एवं स्पेशल चक्कर देय नहीं होगा।

33—:अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष हेतु होगी। आवश्यकता पड़ने पर अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात 03—03 मॉह हेतु दो बार (अधिकतम 06 मॉह हेतु) उन्हीं दरों एवं शर्तो पर अवधि बढ़ाये जाने पर निविदादाता को दुग्ध ढुलान करने की बाध्यता होगी तथा बढ़ाई गयी अवधि में भी अनुबन्ध की समस्त शर्ते निविदादाता को मान्य होगी।

34—:निविदा स्वीकृत होने पर निविदा में उल्लेखित वाहन की आर0सी0, बीमा, रोड टैक्स, फिटनैस, परमिट, प्रदूषण एवं पैनकार्ड के मूल प्रपत्र कमेटी के सम्मुख निविदा स्वीकार होने की सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रस्तुत करने होगें। कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात उक्त सभी प्रपत्रों के सम्बन्ध में समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

35—:निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन के निरीक्षण हेतु सूचना मिलने पर निर्धारित तिथि को वाहन सहित खटीमा कार्यालय/अवशीतन केन्द्र रूद्रपुर/अवशीतन केन्द्र बाजपुर में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

36—:निविदा स्वीकार होने के उपरान्त वाहन के मार्ग की दूरी एवं समिति संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, जिसमें निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा ऐसी स्थिति में परिवहनकर्ता के साथ—साथ संबन्धित फील्ड स्टॉफ द्वारा दूरी नापकर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।

37—:परिवहनकर्ता द्वारा अपने स्टाफ (चालक/परिचालक) का ई0पी0एफ0 नियमानुसार ई0पी0एफ0 कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। जिसका कोई भी उत्तरदायित्व संस्था का नहीं होगा।

38—:चालक/परिचालक की व्यवस्था परिवहनकर्ता को स्वयं करनी होगी। वाहन के समस्त रख रखाव की जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

39—:सरकार द्वारा वाहनों पर लगाये जाने वाले समस्त कर टोल टैक्स सहित का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा स्वयं किया जायेगा इसके लिये संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि भविष्य में मार्ग में कोई नया टोल प्लाजा सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है तो मात्र उसी नये टोल टैक्स का भुगतान संस्था द्वारा दिया जायेगा। वर्तमान में स्थापित किसी भी टोल प्लाजा का टोल टैक्स संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जायेगा।

40—:पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक पशुचिकित्सा कार्य हेतु टैक्स पेड वाहनों की निविदा मान्य होगी, अनुमानित दूरी प्रतिदिन 100 किमी0 के आधार पर गणना की जायेगी। सामान्य परिस्थितियों में वाहन का संचालन एक मॉह में न्यूनतम 25 दिन किया जायेगा परन्तु पशु चिकित्सकों के उपलब्ध न होने की स्थिति मे पशु चिकित्सक की व्यवस्था होने तक वाहन का संचालन नहीं किया जायेगा जिसकी सूचना परिवहनकर्ता को तत्काल कर दी जायेगी। वाहन स्वामी द्वारा कार्य दिवसों में वाहन उपलब्ध न कराये जाने से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से कर दी जायेगी, जिसमें हुए व्यय लागत की कटौती वाहन स्वामी के बिल से कर दी जायेगी।

41—:निविदा स्वीकार होने पर दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता लेनी होगी।

42—:निविदा फार्म के साथ मार्गवार दी गयी दूरी अनुमानित है, कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त संस्था के प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता के साथ मार्ग की दूरी का सत्यापन किया जायेगा, उसी के अनुसार भुगतान देय होगा।

43—:अनुबन्ध होने पर अनुबन्ध की अवधि प्रत्येक दशा मे पूर्ण करनी होगी। अनुबन्ध अवधि मे परिवहनकर्ता द्वारा वाहन हटाये जाने पर जमा जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी, तथा चोरी में पहली बार पकड़े जाने पर कुल हानि की भरपाई के साथ—साथ दस हजार रुपये जुर्माना वसूल करने के साथ—साथ अन्य दण्डात्मक कार्यवाही

की जायेगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर कुल हानि की भरपाई के साथ–साथ बीस हजार रुपये जुर्माना वसूला जायेगा तथा वाहन में समितियों के अतिरिक्त अन्य दूध रखने या उतारने पर चोरी मानी जायेगी। किसी भी चोरी की स्थिति में उपरोक्त के अतिरिक्त वाहन हटाते हुये जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, तथा संबन्धित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर संबन्धित वाहन को संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

44–:निविदा प्रपत्र के साथ निविदा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देशों एवं मुख्य शर्तो को भली भॉति पढ़कर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा फार्म मे संलग्न करना अनिवार्य है।

45–:निविदादाता को अति आवश्यकता होने पर, प्रधान प्रबन्धक की पूर्व अनुमति से अन्य उच्च अथवा समकक्ष वाहन से दुग्ध ढुलान की छूट उनके अनुरोध पर दी जा सकेगी।

46–वाहन में अच्छी गुणवत्ता का तिरपाल लगाना अनिवार्य होगा। वाहन में तिरपाल न लगे होने की स्थिति में वाहन के समय पर पहुंचने पर भी यदि दुग्ध समितियों का दूध खट्टा/फटने की स्थिति में जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा उसके दुग्ध ढुलान बिलों से खट्टे/फटे हुए दूध की धनराशि वसूली संबंधित परिवहनकर्ता से कर ली जायेगी। दैवीय आपदा अथवा समकक्ष के कारण दूध खट्टा/फटा होने (विवाद की स्थिति) पर संस्था की प्रबन्ध कमेटी का निर्णय मान्य होगा।

47–अनुबन्धित दुग्ध वाहन पर जीआई सीट फ्लैक्सी अथवा पेन्ट जिससें दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रचार–प्रसार हो को संस्था द्वारा लगाया जायेगा, जिसका वास्तविक भुगतान दो किस्तों में परिवहनकर्ता से काटौती किया जायेगा, जो अनुबंधकर्ता को मान्य होगा।

48–:यह कि संस्था में कार्यरत कर्मचारी अथवा उसके आश्रित की निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

49–:मार्गवार वाहनों हेतु वर्ष 2025–26 में मार्गवार औसत दुग्ध उपार्जन (केन सहित) का विवरण तैयार करते हुए दुग्ध मात्रा निर्धारित की गयी है। कतिपय मार्गों में फ्लस सीजन में दुग्ध मात्रा बढ़ती है तो अनुबन्धित वाहन को सम्भागीय परिवहन विभाग द्वारा स्वीकृत भार क्षमता के अनुसार दुग्ध ढुलान करना अनिवार्य होगा, जिन मार्गों में सम्भागीय परिवहन विभाग से स्वीकृत भार क्षमता से अधिक दुग्ध मात्रा बढ़ती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पृथक से छोटा वाहन लगाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

50–:किसी भी प्रकार के विवाद में निबंधक, दुग्ध सहकारी समितियॉ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) का निर्णय मान्य होगा।

51–: एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार बिना कारण बताये संस्था के प्रधान प्रबन्धक उधमसिंहनगर दुग्ध संघ खटीमा के पास सुरक्षित होगा।

52–:यह कि सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (एम एस एम ई) में रजिस्टर्ड फर्मों को उत्तराखण्ड शासन की क्रय वरीयता नीति 2019–शासनादेश सं०1542/VII-3-19/143-उद्योग 2/2003 दिनांक 20 अगस्त 2019 की शर्तों के अनुरूप निविदा में छूट प्रदान की जायेगी। पंजीकृत फर्म/निविदादाता को तत्संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना होगा।

नोट–उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 52 तक की शर्ते पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

ह0 निविदादाता ....

नाम–..

पता ....

....